

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या 2977

सोमवार, 21 मार्च, 2022 / 30 फाल्गुन, 1943 (शक)

भारतीय श्रम प्रशासनिक सेवा

2977. श्री आर.के. सिंह पटेल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ई.पी.एफ.ओ, सी.एल.सी., ई.एस.आई.सी., डी.जी.ई., डी.जी.एल.डब्ल्यू. आदि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों की सभी समूह-क सेवाओं को मिलाकर रेल मंत्रालय की सभी समूह-क सेवाओं से युक्त सृजन हेतु प्रस्तावित भारतीय रेल प्रबंधन सेवा के अनुरूप एक संयुक्त भारतीय श्रम प्रशासनिक सेवा बनाने का प्रस्ताव है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): जी, नहीं।

(ख): उपरोक्त बिन्दु (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।
